भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1876
दिनांक 04 **अगस्त**, 2021

पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप के आवंटन में आरक्षण

1876 **श्रीमती फूलो देवी नेतम**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) में 'कंपनी ओन्ड, कंपनी ओपरेटेड' (कोको) आउटलेट्स के आवंटन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु कोई आरक्षण नीति है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप में श्रेणियों के नाम क्या हैं और आरक्षण कोटे का प्रतिशत कितना है; और
(घ) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन में पर्ची निकालने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने बताया है कि कंपनी स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्र दो प्रकार के होते हैं नामत: स्थायी कोको और अस्थायी कोको।

स्थायी कोकोज का प्रचालन सीधे तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा किया जाता है, अस्थायी कोकोज के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज इसका प्रचालन अधिकार एमओपीएनजी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा/संग्रह निधि के तहत विभिन्न आशय-पत्र घारकों को उनकी वरिष्ठता तथा उनकी पंसद के आधार पर देती हैं।

(ग) और (घ): खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन संबंधी दिशा-निर्देशों में आरओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन में अ.जा./अ.ज. जातियों के लिए 22.5% आरक्षण और ओबीसीज के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के लिए विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण निम्नांकित अनुसार है:-

श्रेणी	**अनु.जाति/ अनु. जनजाति**	**ओबीसी**	**सामान्य**	**कुल**
संयुक्त श्रेणी 1 (**सीसी**1) सम्मिलित हैं :- (i) रक्षा कार्मिक और (ii) अर्ध सैन्य कार्मिक / केंद्रीय /राज्य सरकार और केंद्रीय /राज्य पीएसयू कर्मचारी	2	2	4	8

संयुक्त श्रेणी 2 (**सीसी**2) सम्मिलित हैं :- i उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) और ii स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ)	0	0	1	1
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (पीएच)	1	1	1	3
अनु.जाति/अनु.जनजाति	19.50			19.50
अन्य पिछड़ा वर्ग		24		24
सामान्य			44.50	44.50
योग	22.50	27	50.50	100

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम राज्यों में आरक्षण निम्नवत है:-

राज्य	अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए प्रदान की जाने वाली नियमित और ग्रामीण आरओ डीलरशिप का प्रतिशत	शेष प्रतिशत सामान्य श्रेणी के लिए होगा
अरुणाचल प्रदेश	70	30
मेघालय	80	20
नागालैंड	80	20
मिजोरम	90	10

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विभिन्न श्रेणियों के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए आरक्षण प्रतिशत निम्नवत है:-

श्रेणी	आरक्षण श्रेणियां (% में)			
	एससी/एसटी	ओबीसी	सामान्य	योग
सरकारी कार्मिक वर्ग (जीपी)	2	2	4	8
दिव्यांग/शारीरिक रूप से अक्षम कार्मिक (पीएच)	1	1	1	3
संयुक्त वर्ग (सीसी)	0	0	1	1
महिलाएं	7	9	17	33
मुख्य श्रेणी से आरक्षित-संबंधित श्रेणी से कोई भी व्यक्ति	12.5	15	27.5	55
योग	22.5	27	50.5	100

अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड तथा मिज़ोरम के पूर्वो तर राज्यों में आरक्षण निम्नानुसार है:-

राज्य	**अ.अ.जा.**	**महिला**			**सामान्य**	**समग्र योग**
		अ.अ.जा. (महिला)	**सामान्य (महिला)**	**योग**	%	%
अरूणाचल प्रदेश	49	21	09	30	21	100
मेघालय	56	24	06	30	14	100
नागालैंड	56	24	06	30	14	100
मिज़ोरम	63	27	03	30	07	100

इसके अलावा, देश में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के आबंटन के लिए प्रक्रिया/मानक/ मानदंड/आरक्षण संबंधी ब्यौरा ओएमसीज की संबंधित वेबसाइटों अर्थात् www.iocl.com, www.bharatpetroleum.com, www.hindustanpetroluem.com पर उपलब्ध हैं और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश नामत: एकीकृत दिशा-निर्देश http://www.petroleum.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

****